127/1

दूरभाष- 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ- 226001

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

SUDA

पत्रांक : 549 /05/76/एक/2016-17 दिनांक : 24 मई 2016

सेवा में,

जिलाधिकारी/अध्यक्ष,
जिला नगरीय विकास अभिकरण
जनपद-महराजगंज।

विषय : वित्तीय वर्ष 2016-17 में सूडा द्वारा आपके जनपद (डूडा) को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में स्वीकृत परियोजनाओं की धनराशि का प्रेषण।

महोदय,

अभिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में आपके जनपद को अनुसूचित जाति बाहुल्य बस्तियों में मूलभूत सुविधा योजना (एससीपी) में निम्नलिखित विवरण के अनुसार धनराशि जनपद को अवमुक्त कर दी गयी है।

धनराशि का प्रेषण (लाख रू0 में)			
बैंक का नाम	खाता संख्या	आईएफएससी कोड	धनराशि
एच0डी0एफ0सी0 बैंक	19091450000036	IFSC Code HDFC0001909	60.859

(धनराशि लाख रू0 में)

क्र0 स0	जनपद का नाम	एससीपी-83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (द्वितीय किश्त)
1	महराजगंज	एससीपी-83	न0प0प0 नौतनवां	वार्ड नं0 04 में कोदई के मकान से आगे नागालैण्ड स्कूल तक नाली का निर्माण कार्य।	12.195
2	महराजगंज	एससीपी-83	न0प0प0 नौतनवां	वार्ड नं0 01 इन्दिरा नगर में वेमत अतिथि भवन के सामने इण्टरलाकिंग रोड एवं नाली का निर्माण कार्य।	7.102
3	महराजगंज	एससीपी-83	न0पं0 घुघली	वार्ड नं0 01 डिह टोला हीरा लाल से संस्कृत पाठशाला से सटे हुये श्री राधेश्याम के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	3.235
4	महराजगंज	एससीपी-83	न0पं0 घुघली	वार्ड नं0 10 में महेन्द्र धोबी के घर से गुड्डू सिंह के घर तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	1.742
5	महराजगंज	एससीपी-83	न0पं0 घुघली	वार्ड नं0 01 चैनपुर में कप्तानगंज रोड श्रीकान्त के घर से श्री राजेन्द्र के घर तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	2.518
6	महराजगंज	एससीपी-83	न0पं0 घुघली	वार्ड नं0 01 चैनपुर मे महन्थ बाजार पिच रोड से श्री सुरेश जायसवाल के घर के बगल से पाठशाला रोड तक इण्टरलाकिंग निर्माण कार्य।	10.413
7	महराजगंज	एससीपी-83	न0पं0 घुघली	वार्ड नं0 01 चैनपुर में कप्तानगंज रोड स्वर्गीय शदरी के घर से श्री पारस धोबी के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	8.211
8	महराजगंज	एससीपी-83	न0पा0प0 महराजगंज	वार्ड नं0 04 बैकुण्ठपुर में श्री संजीवन के मकान से श्री प्रभाकर के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	1.597
9	महराजगंज	एससीपी-83	न0पा0प0 महराजगंज	वार्ड नं0 04 बैकुण्ठपुर में श्री संजीवन के मकान से श्री राम प्रकाश के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	1.609

दूरभाष– 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

127/2

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

क्र0 सं0	जनपद का नाम	एससीपी–83	निकाय का नाम	बस्ती/वार्ड का नाम	जनपद को प्रेषित की गयी धनराशि (द्वितीय किश्त)
10	महराजगंज	एससीपी–83	न0पा0प0 महराजगंज	वार्ड नं0 03 अम्बेडकर नगर में श्री पारस के मकान से श्री रघुराई के मकान होते हुये श्री राजू के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	6.834
11	महराजगंज	एससीपी–83	न0पा0प0 महराजगंज	वार्ड नं0 03 अम्बेडकर नगर में श्री रामराज के मकान से श्री मुग्गन के मकान होते हुये श्री राजू के मकान तक इण्टरलाकिंग रोड व नाली का निर्माण कार्य।	5.403
	योग				60.859

उपरोक्त अवमुक्त धनराशि का व्यय एससीएसपी योजनान्तर्गत निम्न दिशा निर्देशों के अनुसार ही किया जाये:–

1– उ0प्र0 सरकार के द्वारा जारी शासनादेशों के अनुरूप शहरी क्षेत्रों की अल्पसंख्यक बाहुल्य बस्तियों तथा मलिन बस्तियों में सी0सी0 रोड अथवा इण्टरलाकिंग, नाली निर्माण व अन्य सामान्य सुविधाओं की स्थापना योजना हेतु स्वीकृत डी0पी0आर0/परियोजना के अनुसार कार्य कराया जायें। प्रत्येक कार्य आरम्भ होने के पूर्व एवं कार्य समाप्त होने के पश्चात फोटोग्राफ प्रत्येक दशा में सम्बन्धित पत्रावली में रखा जाये।

2– स्थानीय स्तर पर जो भी कार्य कराये जायें उनकी सूचना सम्बन्धित नगर निकाय एवं अन्य विभागों से समन्वय स्थापित कर और सूचना देकर सुनिश्चित कर लिया जाये ताकि एक ही कार्य दो विभागों द्वारा टेकअप न कर लिया जाये।

3– प्रश्नगत परियोजना में प्रस्तावित कार्य आरम्भ करने से पूर्व परियोजना पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति आवश्य प्राप्त कर ली जाये तत्पश्चात ही कार्य आरम्भ कराया जाये।

4– अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि परियोजनान्तर्गत कार्य हेतु पूर्व में राज्य सरकार अथवा किसी अन्य श्रोत्र से धनराशि स्वीकृत नही की गई है तथा न ही यह कार्य किसी अन्य कार्य योजना में सम्मिलित है जिससे कि शासकीय धन का दुरूपयोग न होने पाये, अन्यथा की स्थिति में प्रश्नगत धनराशि तत्काल अभिकरण मुख्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5– स्थानीय स्तर पर जो भी परियोजनायें या कार्य कराये जायें उनमें पारदर्शिता के साथ गुणवत्ता सुनिश्चित की जाये एवं राज्य सरकार/स्थानीय विधि/नियम एवं पर्यावरणीय बाध्यता के अन्तर्गत यदि कोई स्वीकृत/अनापत्ति अन्य विभागों से लेना हो तो, सुनिश्चित किया जाये।

6– प्रश्नगत परियोजनाओं में स्वीकृत की गयी धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों के अन्तर्गत निर्माण कार्य सम्पादित कराते हुये किया जाये।

7– परिसम्पत्तियों के सृजन उपरान्त समय से उन्हें सम्बन्धित नगर निकायों को हस्तान्तरित कर दिया जाये ताकि भविष्य में समुचित रख–रखाव में कोई बाधा उत्पन्न न होने पाये। इसके लिये आवश्यक है कि परिसम्पत्तियों के सृजन के पूर्व ही स्थानीय निकायों से तदाशय की सहमति ले ली जाये।

8– योजनान्तर्गत अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2015–16 में अवश्य करा लिया जाये तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र अथवा अवशेष धनराशि अभिकरण को प्रत्येक दशा में उपलब्ध करायी जायें। निर्धारित अवधि के उपरान्त उपयोगिता प्रमाण पत्र/अवशेष धनराशि अभिकरण को नही प्राप्त होती है तो शासन द्वारा निर्धारित ब्याज अवमुक्त की गई धनराशि पर देय होगा।

9– उक्त धनराशि डूडा द्वारा इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित शर्तो/योजना के प्रतिबन्धों के अनुसार निहित मद में व्यय की जायेगी एवं स्वीकृत परियोजनान्तर्गत कार्य कमशः इस प्रकार कराये जायें कि वे प्रश्नगत उपलब्ध धनराशि से ही समय से पूर्ण हो जायें।

10– अवमुक्त की जा रही धनराशि का उपयोग उसी परियोजन के लिये किया जायेगा जिसके लिये वह स्वीकृत की गई है। किसी प्रकार का व्ययवर्तन अनुमन्य न होगा, अन्यथा की स्थिति में जनपद के सम्बन्धित अधिकारी संयुक्त रूप से उत्तरदायी होंगे।

दूरभाष 2286709
2286710
नव चेतना केन्द्र, 10 अशोक मार्ग, लखनऊ–226001

127/3

राज्य नगरीय विकास अभिकरण,उ.प्र.

11– शासन द्वारा उक्त परियोजना में आगणन के सापेक्ष द्वितीय किश्त की धनराशि अवमुक्त की गई है जिसमें अनुमन्य सेन्टेज की धनराशि एवं द्वितीय किश्त में 10 प्रतिशत की धनराशि रोककर शेष धनराशि अवमुक्त की जा रही है। उक्त धनराशि के सापेक्ष नियमानुसार गुणवत्तापरक कार्य सम्पादित कराते हुये उपयोगिता प्रमाण पत्र व्यय की गई धनराशि के सापेक्ष भौतिक प्रगति सहित निर्धारित प्रपत्र पर सूचना अभिकरण को शीघ्र उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे रोकी गयी धनराशि को अवमुक्त किया जा सके।

भवदीय,

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक

पत्रांक एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि :निम्नलिखित को सूचनार्थ प्रेषित।

1. परियोजना निदेशक, जिला नगरीय विकास अभिकरण, सम्बन्धित जनपद।
2. अधि0 अभियन्ता–सूडा
3. कम्प्यूटर सेल–सूडा।
4. लेखा विभाग–सूडा।

(लाल प्रताप सिंह)
वित्त नियन्त्रक